डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

रामदयाल बनाम भूपसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 24/2021

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश हेाकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 0.75 है0 साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादी को रजि0 वयनामा दिनांक 22.06.81 के आधार पर 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा संयुक्त वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ब दसख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.03.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 26/03/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यायालय

प्रकरण सं. 2
डी.सी.एन.
किस्म दा
निर्णय दि

1. रामदयाल पुत्र दुर्गासिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई
भरतपुर।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह (मृतक) – देवेन्द्र पाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली
तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. महादेई बेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
3. बदनसिंह पुत्र कजौडी जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

26/03/25
सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

करण सं. 24/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/00035
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह (मृतक) – देवेन्द्र पाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. महादेई बेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बदनसिंह पुत्र कजौडी जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महेन्द्र मीणा एड.(वादी की ओर से)

श्री अशोक कुमार (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण जो वाद लडने में सक्षम हैं। मृतक भूपसिंह के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 0.75 है0 साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा [illegible] नदबई में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2073–78 खाता संख्या 5 [illegible] है।
3. यह कि विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादी [illegible] 2 व 3 ने जरिए वयनामा रजि0 जीवनसिंह व बलवीर सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई से 6000 रूपए में दिनांक 22.06.81 को क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

26/03/25

Scanned with OKEN Scanner

किया है और वक्त खरीद से ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 काबिज काश्त करते हुए चले आ रहे हैं जिसमें वादी रामदयाल 1/3 हिस्सा व मृतक भूपसिंह के वारिसान 1/3 हिस्सा व मृतक कजौडी का वारिस प्रतिवादी संख्या 3 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा इंतकाल संख्या 218 वयनामा साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा जो अरौदा में है उस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से में व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जबकि इंतकाल द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भूपसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 कजौडी तीनों ही वाहिस्सा बराबर के जरिए वयनामा क्रेतागण खरीददार थे जिसके अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए था जिसे वादी जरिए वयनामा के आधार पर दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है।

4. अंत में वादी द्वारा प्रार्थना की कि उक्त आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 0.75 है0 साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादी को 1/3 हिस्सा तथा बदनसिंह पुत्र कजौडी को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि मृतक भूपसिंह के पुत्र व बेवा हैं उनको 1/3 हिस्से में वाहिस्सा बराबर इन्द्राजात करते हुए गलत इन्द्राजात जो कि प्रतिवादी संख्या 3 बदनसिंह पुत्र कजौडी को 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार वयनामा के आधार पर एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 3 की ओर से श्री अशोक कुमार एड़वोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स. 3 की ओर से जबाब दावा पेश किए जाने हेतु बार बार अवसर प्रदान किए गए तदुपरान्त जबाव दावा 24.10. 2024 को बंद किया गया । वास्ते साक्ष्यवादी पत्रावली [illegible] गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी [illegible] 2073-76 वाके ग्राम अरौदा, वयनामा रजि. दिनांक 22.06.1981 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके अरौदा पेश किए गए। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

26/03/25

Scanned with OKEN Scanner

रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह जाति जाट निवासी गुदावली, शेरसिंह पुत्र कल्ला जाति माली निवासी अरौदा व जग्गो पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार के बयान पेश किए गए। इनसे जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके अरौदा पेश की गई जिसमें विवादित आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 0.75 है0 साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर बदनसिंह पुत्र कजौडी हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन गुदावली, भूपसिंह पुत्र दुर्गीसिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट साकिन गुदावली व रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट साकिन गुदावली पर खातेदारी अंकित हो रही है यानि कि वादी व प्रति सं. 1 व 2 के पिता व पति व प्रति 3 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त विवादित आराजी का साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा से बना है जो मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से साबित है। उक्त साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को जरिए वयनामा रजि0 जीवनसिंह व बलवीर सिंह पुत्र भगवत सिंह जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई से 6000 रूपए में दिनांक 22.06.81 को क्रय किया है। जो प्रस्तुत वयनामा से साबित है। उक्त वयनामा का नामा0 संख्या 218 साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा है उस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से में व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार इन्द्राजात का अंकन किया गया है जो कि गलत है। जबकि इंतकाल द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व पति भूपसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 बदनसिंह पुत्र कजौडी तीनों ही बाहिस्सा बराबर के जरिए वयनामा क्रेतागण थे जिसके अनुसार ही राजस्व रिकॉ[illegible] अव[illegible] किया जाना था। इस प्रकार वादी रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह को 1/3 [illegible] व प्रतिवादी संख्या 3 बदनसिंह पुत्र कजौडी को [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

26/03/25

Scanned with OKEN Scanner

1/3 हिस्सा संयुक्त वाहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाना था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से गलत इन्द्राजात दर्ज किए गए हैं जो काबिल कलमजन के हैं। इस संबंध में वादी द्वारा मौखिक बयान में कथन किए हैं जो वादी के वादपत्र की ताहीद करता है। अतः वादी का वादपत्र काबिल स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 0.75 है0 साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादी को रजि0 वयनामा दिनांक 22.06.81 के आधार पर 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा संयुक्त वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

26/03/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner